RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 10520/2025

Hanumanaram @ Hadmanaram S/o Loona Ram, Aged About 50 Years, R/o Barthal Bhakhari, police Station Osian, at Present House No 352, indra Colony, near Water Tank, mahamandir, jodhpur, rajasthan

(Present Lodged In District Jail,phalodi)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhagirath Ray Bishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, Addl. G.A. with Mr. Om Prakash Choudhary, Asst. Addl. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

<u>Order</u>

1.	**Arguments Concluded On:**	**19.03.2026**
2.	**Judgment Reserved On:**	**19.03.2026**
3.	**Full Judgment/Operative Part Pronounced:**	**Full Judgment**
4.	**Pronounced On:**	**27.03.2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना भोजासर जिला जोधपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 16/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.05.2025 के माध्यम से विस्तृत आदेश कर खारिज किया गया है।

RAJASTHAN HIGH COURT

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई अवैध मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। सहअभियुक्त श्रवण का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 11993/2024 आदेश दिनांक 21.03.2025, रामनारायण तथा रोहिताश का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या क्रमशः 3986/2023, 3834/2023 आदेश दिनांक 05.09.2023 के द्वारा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के समान ही अन्य प्रकरणों में ठाकरा राम का तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 14514/2025 आदेश दिनांक 13.03.2026, भजनलाल तथा दिनेश का जमानत प्रार्थना संख्या क्रमशः 7400/2025, 12368/2025 आदेश क्रमशः दिनांक 18.08.2025, 09.03.2026 तथा जितेन्द्र पुत्र पुखराज का द्वितीय जमानत प्रार्थना संख्या 2407/2026 आदेश दिनांक 26.02.2026 के द्वारा इस न्यायालय तथा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.01.2024 से अभिरक्षा में है। पीडब्ल्यू 7 ब्रदीप्रसाद जो प्रकरण में थानाधिकारी रहा है ने अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में कहा है कि ''यह सही है कि बरामद स्थल पर कब्जा हनुमानाराम का हो ऐसा कोई दस्तावेज अथवा मौखिक साक्ष्य मेरे समक्ष नहीं आयी थी। यह सही है कि इस प्रकरण में जब्त दोनों वाहनों से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। यह सही है कि रामनारायण और रोहिताश के कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। यह सही है कि फॉर्च्यूनर वाहन के पंजीकृत स्वामी से ऐसा कोई लिखित इकरारनामा प्राप्त नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि पीडब्ल्यू 1 लक्ष्मणराम, पीडब्ल्यू 2 मालाराम, पीडब्ल्यू 3 जमील खान, पीडब्ल्यू 4 दिनेश, पीडब्ल्यू 5 पुष्पेन्द्र, पीडब्ल्यू 6 इमरान खां ने भी अपने बयान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं दिए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध काफी साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त और सहअभियुक्त श्रवण कुमार के चैतन्य कब्जे से श्रवण कुमार के घर में बने बाड़े में 8 कट्टों में भरा हुआ कुल 150.97 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ था, जो वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 25.09.2024 को धारा 8/15, 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट और धारा 411 भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रथम दृष्ट्या बनना विद्वान विचारण न्यायालय ने माना है। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया हो या उससे कोई बरामदगी नहीं हुई हो या वह घटनास्थल पर नहीं हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं आया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कुल 30 आपराधिक प्रकरण विभिन्न्न धाराओं में दर्ज हैं और वह 2003 से लगातार विभिन्न आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहा है। 30 आपराधिक प्रकरणों में से 7 प्रकरणों में उसके विरुद्ध एन.डी.पी.एस. मादक पदार्थों को कब्जे में रखने और तस्करी करने के अपराध का आरोप रहा है। उक्त प्रकरणों में जमानत प्राप्त करने के पश्चात उसने जमानत की सुविधा का दुरूपयोग किया है तथा पुनः अपराध कारित किया है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जो विनिश्चय प्रस्तुत किए गए हैं, उन विनिश्चयों में से किसी भी अपराधी के विरुद्ध 30 प्रकरण लंबित नहीं थे तथा उनमें से 7 प्रकरण में एन.डी.पी.एस. से संबंधित लंबित नहीं रहे हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना के तथ्यों के अनुसार दिनांक 18.02.2023 को थानाधिकारी पुलिस थाना भोजासर श्री इमरान खां को मिली सूचना के आधार पर वह सहअभियुक्त श्रवण के घर पर पहुंचे तथा श्रवण के खेत में एक फॉर्च्यूनर खड़ी मिली और वाहन में 2 शख्स मिले जिसमें से एक ने अपना नाम रामनारायण और दूसरे ने अपना नाम रोहिताश बताया और उन्होंने बताया कि प्रार्थी/अभियुक्त हनुमान भादू अपने वाहन में डोडा पोस्त लेकर श्रवण कुमार

के मकान पर आया है और श्रवण व हनुमान दोनों श्रवण के घर के पास बने बाड़े में डोडा पोस्त का मापतोल कर रहे हैं। इस पर पुलिसकर्मी सहअभियुक्त श्रवण कुमार के मकान पर पहुंचे और मकान के पास में बने बाड़े में हनुमानाराम और श्रवण कुमार मिले और उनको देखकर वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। मौके पर 8 कट्टों में कुल 150.97 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। इस संबंध में पुलिस द्वारा फर्द बरामदगी जब्ती अवैध डोडा पोस्त बनाई गई। तत्कालीन थानाधिकारी भोजासर पीडब्ल्यू 6 इमरान खां ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में उन दोनों व्यक्तियों प्रार्थी/अभियुक्त हड़मान भादू पुत्र लूणाराम तथा श्रवण कुमार पुत्र भजनाराम को मौके पर पहचाना तथा वाहन हेरियर भी हनुमानाराम का होना बताया। वस्तुतः प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से मादक पदार्थ बरामद हुआ है या नहीं हुआ या प्रार्थी/अभियुक्त आरोपित कृत्य में शामिल था या नहीं था इस तथ्य का गुणावगुणों पर विवेचन साक्ष्य के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। इस स्तर पर यदि न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण के द्वारा दिए गए बयान का गुणावगुणों पर विवेचन करती है तो इससे विद्वान विचारण न्यायालय का विचारण विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है। प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त और सहअभियुक्त श्रवण कुमार के कब्जे से मादक पदार्थ बरामद होना पुलिस ने बताया है जो मादक पदार्थ बरामद हुआ है, वह वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है, ऐसी स्थिति स्थिति में धारा 36 एनडीपीएस के प्रावधान लागू होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा जो भी विनिश्चय प्रस्तुत किए गए हैं, उन विनिश्चयों में किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध 30 आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं थे, इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध 30 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ साथ उन आपराधिक प्रकरणों में 7 प्रकरणों में उसके विरुद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट में अपराध दर्ज हुए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त वर्ष 2003 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में अंतर्वलित रहा है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः इस प्रकृति का या अन्य प्रकृति का अपराध कारित नहीं करेगा क्योंकि पूर्व

में उसे अन्य प्रकरण में जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान किया गया था उन जमानत की सुविधा का उसके द्वारा दुरुपयोग कर उसके द्वारा आपराधिक कृत्य किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण अन्य सहअभियुक्तगण के प्रकरण के समान नहीं माना जा सकता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अत्यधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज रहने, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि होने तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **हनुमानाराम उर्फ हड़मानाराम पुत्र लूणाराम** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

चूंकि प्रार्थी/अभियुक्त अभिरक्षा में है, अतः विद्वान विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रकरण के त्वरित गति से निस्तारण का प्रयास करे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /Res.